



# जनपद शामली पुलिस



**--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेसविज्ञप्ति**

**दिनांक 29.06.2022**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा चोरी , आर्म्स एक्ट आदि के अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते मा 0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई कठोर कारावास की सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया ।**

1. वर्ष 1997 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त यशपाल पुत्र सरजीत निवासी ग्राम छाजपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मु 0अ0सं0 412/1997 धारा 25 आर्म्स एक्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । जिसमें मा 0 न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास एवं 300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
2. वर्ष 1989 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र भौपाल सिंह निवासी थाना तितावी जनपद मु0नगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 125/89 धारा 25 आर्म्स एक्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । जिसमें मा 0 न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 3000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
3. वर्ष 2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त जावेद पुत्र नफीस निवासी कृष्णापुरी खालापार थाना कोतवाली मु0नगर जनपद मु0नगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 05/21 धारा 379 भादवि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था । उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कैराना पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । जिसमें मा0 न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास की सजा एवं 1500/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।  
उक्त मुकदमों में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/कोतवाली शामली/कैराना एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है ।

## **नाम व पता अभियुक्तगण:-**

1. यशपाल पुत्र सरजीत निवासी ग्राम छाजपुर थाना कांधला जनपद शामली ।
2. उमेश पुत्र भौपाल सिंह निवासी थाना तितावी जनपद मु0नगर ।
3. जावेद पुत्र नफीस निवासी कृष्णापुरी खालापार थाना कोतवाली मु0नगर जनपद मु0नगर

## थाना गढीपुख्ता

**थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आर्मी मे फर्जी दस्तावेज बनवाकर भर्ती कराने वाले गैंग का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार ।**

भारतीय सेना में युवको को थाना गढीपुख्ता के गाँव धनैना का निवासी दिखाकर कूटरचित दस्तावेज बनाकर भर्ती कराया गया । इसके बाद फर्जी तरीके उनकी वैरीफिकेशन ग्राम प्रधान से कराने के प्रयास करने में तीन व्यक्तियों सुरेन्द्र, सतीश व अरविन्द को गिरफ्तार किया गया था , जिनके कब्जे से कूटरचित दस्तावेज बरामद हुये थे । इस सम्बन्ध में उक्त मुकदमें में अब तक 12 लोगो के नाम प्रकाश में आये जिसमें से 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

इसी क्रम मे आज दिनांक 29-6-2022 को वर्ष 2020 फरार चल रहे अभि0 इन्ना ठाकुर उर्फ अजयपाल को मुखबिर की सूचना पर थाना गढीपुख्ता क्षेत्र ग्राम भैसवाल नहर पुल से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त इन्ना ठाकुर उपरोक्त अपने गिरोह के साथ मिलकर सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे नवयुवको के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भारतीय सेना में भर्ती कराने के लिए मोटी रकम लेकर जाल साजी का काम करता था। गिरफ्तारी के संबंध मे थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभि0गण-

1-इन्ना ठाकुर उर्फ अजयपाल पुत्र मायाराम निवासीग्राम डीडवार थाना राजाखेडा धौलपुर राजस्थान ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्ना ठाकुर उर्फ अजयपाल

1-मु0अ0स0 83/2020 धारा- 419,420,467,468,471,120 बी भादवि थाना गढी पुख्ता जनपद शामिली ।



## थाना थानाभवन

### थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 29.06.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा जिलाबदर 01 अभियुक्त गुड्डु पुत्र बाबू निवासी मौ 0 हरिनगर थाना थानाभवन जनपद शामली को सत्यापन की कार्यवाही में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुड्डु पुत्र बाबू निवासी मौ0 हरिनगर थाना थानाभवन जनपद शामली।

### आपराधिक इतिहास गुड्डु -

1-मु0अ0सं0 140/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली

2-मु0अ0सं0 26/21 धारा 03 यूपी गुंडा अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

